न्यायालयः–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01, लखीमपुर खीरी।

सत्र परीक्षण संख्या–77/22

राज्य बनाम गुरूविन्दर सिंह आदि।

03.12.2022

प्रार्थनापत्र कागज सं0 15क, 18क, 19क व 20क का निस्तारण।

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र 15क, 18क, 19क व 20क नियत है।

2. प्रार्थनापत्र 15क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 अभियुक्त विचित्र सिंह, प्रार्थनापत्र 18क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 अभियुक्त गुरूविन्दर सिंह, प्रार्थनापत्र 19क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 अभियुक्त कमलजीत सिंह व प्रार्थनापत्र 20क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 अभियुक्त गुरूप्रीत सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

3. उपरोक्त प्रार्थनापत्र में अभियुक्तगण द्वारा सामान्य रूप से अभिकथित किया गया कि अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार खीरी में निरूद्ध है तथा उपर्युक्त अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट की अपराध सं0 220 सन् 2021 दिनांक 04.10.2021 को समय 04:46 बजे अन्तर्गत धारा 147,323,324,336,302 भा0दं0सं0 थाना तिकोनिया, जिला खीरी पर परिवादी सुमित जायसवाल द्वारा अंकित करायी गयी। जिसमें कथन किया गया है कि " दिनांक 03.10.2021 को मा0 केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री अजय मिश्र टेनी जी के पैतृक गांव बनवीरपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता एवं विशाल जनसभा कार्यक्रम में सम्मिलित था। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मा0 उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन होना तय था। प्रार्थी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए काले शरण मोड जा रहा था। प्रार्थी यू0पी031ए.एस.–1000 गाड़ी थार जिसमें मेरे साथ गाड़ी का ड्राइवर हरिओम जो कि गाड़ी चला रहा था एवं मेरा मित्र शुभम मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा पुत्र निवासी मो0 शिवपुर, थाना कोतवाली सदर, लखीमपुर मा0 मुख्य अतिथि जी के स्वागत के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में तिकुनिया मोड के पास किसान आन्दोलन कर रहे थे, उपद्रवियों ने गाड़ी पर लाठी व ईंट पत्थरों से हमला किया जिसमें ड्राइवर हरिओम के सिर पर चोट आई और गाड़ी किनारे रोक दी जिसके उपरान्त उपद्रवियों द्वारा ड्राइवर हरिओम को गाड़ी से नीचे खींचकर लाठी डंडों एवं तलवार से मारने लगे एवं हम सभी कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे पथराव को देखकर वहां से भागने का प्रयास किया। इस दौरान उपद्रवियों ने मेरे मित्र शुभम मिश्रा को पकड़ लिया और

Digitally signed by Sunil Kumar Verma
Date: 2022.12.03 17:08:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उसको भी मारने लगे। प्रार्थी किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर वहां से भागा अन्यथा प्रार्थी को भी जान से मार देते। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि मेरे मित्र एवं गाड़ी ड्राइवर की हत्या कर दी गयी तथा साथ में दो अन्य अज्ञात भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की भी जानकारी मिली। जिसके वीडियो एवं फोटों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। इस दौरान प्रार्थी के दो मोबाइल जिनके नं0 8881905100/9792189684 थे तथा दूसरे सैमसंग ए70 फोन में सिम नहीं था। प्रार्थी बहुत डरा सहमा है। प्रार्थी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करें। ''

विवेचक द्वारा उपरोक्त अपराध में संकलित साक्ष्य सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो व फोटो व अन्य लिखित व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त विचित्र सिंह के विरूद्ध धारा–109, 114, 504, 143, 147, 148, 149, 325, 323, 427, 436, 302 भा0दं0सं0 तथा अभियुक्त गुरूविन्दर, गुरूप्रीत व कमलजीत सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–12 सन् 2022 दिनांकित 20.01.2022 अन्तर्गत धारा–143, 147, 148, 149, 323, 325, 436, 427, 504, 302 भा0दं0सं0 में न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 में सामान्यतया यह भी अभिकथित किया गया कि दं0प्र0सं0 की धारा 207 के अन्तर्गत विवेचक द्वारा 173(2) दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट के साथ संकलित साक्ष्य अभिलेखों की निःशुल्क प्रतिलिपियां अभियुक्त को उपलब्ध करा देना चाहिए जिन पर कि अभियुक्त को अपना केस साबित किया जाना है किन्तु प्रतिलिपियां अभियुक्तगण को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण द्वारा धारा 227 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किए जाने एवं उन्मोचित किए जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार समल एवं अन्य ए0आई0आर0 1979 एस0सी0 366, बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह ए0आई0आर0 1977 एस0सी0 2018 की विधि व्यवस्थाओं का** उल्लेख करते हुए भा0दं0सं0 की धारा 107,141,143,147,148,149,108, 109,114,427, 436,504,300 में उल्लिखित विधिक उपबन्धों की व्याख्या प्रार्थनापत्र में की।

अभियुक्तगण द्वारा यह भी अभिकथित किया गया कि अपराध के सभी अभियुक्तगण घटना के पूर्व से एक दूसरे से अपरिचित थे तथा अपना अपना गांव के निवासी है तथा सभी अभियुक्तगणों की व सभी मजरूबों की घटना के पूर्व से रंजिश व झगड़ा नहीं था। ऐसे में सभी अभियुक्तगण द्वारा

आशय एवं सामान्य उद्देश्य से कथित घटना के आशय से मृतकों की हत्या करने, चुटहिलो को घायल करने का कोई औचित्य नहीं है तथा वादी सुमित जायसवाल ने धारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान तथा मजीद बयान में अभियुक्तगण के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। अतः विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य व साक्षियों के बयान के परिवेश में यद्यपि धारा 227 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर विचारण के समय पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य पर एक सीमित परिवेश में ध्यान देना चाहिए और यदि दो विचार समान रूप से संभव है तथा जज महोदय संतुष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य जो मामला संदेहास्पद और गंभीर संदेहास्पद नहीं है तो अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाना चाहिए। इस स्तर पर मात्र संशय/संदेह चाहे जितना भी मजबूत हो प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। आरोप विरचित किये जाने के समय उपलब्ध ा साक्ष्य का सूक्ष्मता से परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए बल्कि एक सीमित दायरे में आरोप का परीक्षण होना चाहिए तथा मात्र उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पक्ष–विपक्ष के परिणाम/निष्कर्ष का विचारण आरोप विरचित किये जाने के समय तक तर्कसंगत नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि अभियुक्त को दोषी साबित किये जाने हेतु अभियोजन का समस्त साक्ष्य बिना प्रति परीक्षा के स्वीकार कर लिया जाये और फिर दोष सिद्ध के लिए साक्ष्य पर्याप्त न हो तो ऐसी दशा में अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना चाहिए।

अतः उपर्युक्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थनापत्र 15क, 18क 19क व 20क स्वीकार कर क्रमशः अभियुक्त विचित्र सिंह, गुरूविन्दर सिंह, कमलजीत सिंह व गुरूप्रीत सिंह को उन्मोचित किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

4. अभियुक्त विचित्र सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र 15क में अतिरिक्त कथन किया गया कि दौरान विवेचना दिनांक 23.10.2021 को गवाहों के बयान के आधार पर सह अभियुक्तों के साथ प्रार्थी विचित्र सिंह पुत्र लखविन्दर सिंह निवासी गोगावां, थाना भीरा जिला खीरी का नाम प्रकाश में आया था तथा दिनांक 25.10.2021 की मुखबिर खास द्वारा बताने पर विवेचक को जानकारी हुई कि विचित्र सिंह जोर–जोर से तेज आवाज में बता रहा है कि गाड़ी पलट दो, गाड़ी पलट दो, जिसके आधार पर विवेचक द्वारा उक्त अपराध में प्रार्थी के नाम की बढ़ोत्तरी की गयी तथा प्रार्थी की तलाश पुलिस द्वारा की जाने लगी और अपराध में धारा 148,149,109 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। पुलिस की दबिश के कारण दिनांक 26.10.2021 को अपराध शाखा कार्यालय पर प्रार्थी विचित्र सिंह उपस्थित हुआ उसे 09:30 ए0एम0 पर प्रार्थी विचित्र सिंह को उसका

अपराध बताकर नियमानुसार पुलिस ने हिरासत में ले लिया तथा प्रार्थी विचित्र सिंह का विवेचक द्वारा बयान लिया गया जिसकी वीडियो रिकार्डिंग की गयी और कम्प्यूटर पर टाइप किया गया।

दं0प्र0सं0 की धारा 1973 में विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अभियुक्त की आवाज का नमूना लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी विवेचक द्वारा प्रार्थी की आवाज का नमूना दिनांक 26.10.2021 को समय 12:39 पी0एम0 पर विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध टेस्ट कराये जाने हेतु साक्षियों की उपस्थिति में लिया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त प्रतिपादित विधि व्यवस्था **2019 सी0आर0एल0जे0 3964 रितेश सिन्हा बनाम सरकार उ0प्र0** के आलोक में विवेचक द्वारा प्रार्थी विचित्र सिंह को उसकी आवाज का नमूना लिये जाने हेतु विचित्र सिंह को माननीय सी0जे0एम0 खीरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं किया गया और न ही विचित्र सिंह की आवाज का नमूना लिये जाने हेतु कोई प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्रस्तुत करके उसकी आवाज का नमूना लिये जाने की अनुमति प्राप्त की गयी बल्कि प्रार्थी विचित्र सिंह के विवेचक द्वारा बयान लिए जाने तथा आवाज का नमूना लिए जाने के पश्चात् प्रार्थी का मेडिकल परीक्षण कराया गया और प्रार्थी को न्यायालय सी0जे0एम0 खीरी के समक्ष प्रस्तुत कर 14 दिन की रिमाण्ड की याचना की गयी और प्रार्थी को न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजा गया।

5. अभियुक्त गुरूविन्दर सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र 18क में अतिरिक्त कथन किया गया कि दौरान विवेचना दिनांक 23.10.2021 को गवाहों के बयान के आधार पर सह अभियुक्तों के साथ प्रार्थी गुरविन्दर सिंह पुत्र गुरमेज सिंह निवासी गोगावां, थाना भीरा जिला खीरी का नाम प्रकाश में आया था जिसके आधार पर विवेचक द्वारा उक्त अपराध में प्रार्थी के नाम की बढ़ोत्तरी की गयी तथा प्रार्थी की तलाश पुलिस द्वारा की जाने लगी और अपराध में धारा 148,149,109 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। पुलिस की दबिश के कारण दिनांक 26.10.2021 को अपराध शाखा कार्यालय पर प्रार्थी गुरविन्दर सिंह उपस्थित हुआ उसे 09:30 ए0एम0 पर प्रार्थी गुरविन्दर सिंह को उसका अपराध बताकर नियमानुसार पुलिस ने हिरासत में ले लिया तथा प्रार्थी गुरविन्दर सिंह का विवेचक द्वारा बयान अपने मन से लिख लिया गया।

6. अभियुक्त कमलजीत सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र 19क में अतिरिक्त कथन किया गया कि दौरान विवेचना दिनांक 18.12.2021 को कुछ लोगों द्वारा फोटो पहचान लेने से कमलजीत सिंह का नाम प्रकाश में आया तथा उसी

आधार पर कमलजीत सिंह के नाम की विवेचना में दिनांक 29.12.2021 से बढ़ोत्तरी की गयी और कमलजीत सिंह की तलाश में उनके घर पर दबिश दी जाने लगी। दबिश की जानकारी होने पर प्रार्थी अभियुक्त स्वयं दिनांक 01.01. 2022 को अपराध शाखा कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा कमलजीत सिंह का बयान पुलिस ने अपने मन से लिख लिया गया और 16:15 बजे पुलिस हिरासत लिया गया।

7. अभियुक्त गुरप्रीत सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र 20क में अतिरिक्त कथन किया गया कि दिनांक 30.12.2021 को फोटो व वीडियो के आधार पर व पोस्टर के आधार पर प्रार्थी गुरप्रीत सिंह का कथित घटना में नाम पहचान के आधार पर प्रकाश में आया है। उसके बाद विवेचना में प्रार्थी की अभियुक्त के रूप में बढ़ोत्तरी की गयी है। प्रार्थी के घर पर पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया। दबिश की जानकारी होने पर प्रार्थी स्वयं दिनांक 02.01.2022 को अपराध शाखा कार्यालय में दिन में लगभग 11 बजे उपस्थित हुआ और पुलिस प्रार्थी का नाम पता पूछकर प्रार्थी को कथित घटना में शामिल होना बताकर समय 12:45 पी0एम0 हिरासत में लिया गया और विवेचक ने अपने मन से प्रार्थी का नाम लिख लिया।

8. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुरविन्दर सिंह के प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति 24क, विचित्र सिंह के प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति 26क एवं अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के प्रार्थनापत्र के विरूद्ध आपत्ति 27क प्रस्तुत करते हुए सामान्तया अभिकथत किया गया कि जांच एजेन्सी द्वारा विधि विरूद्ध जमाव अन्तर्गत धारा 141 भा0दं0सं0 के अपराध के तहत स्थापित तथा विनिर्दिष्ट रूप से सभी अभियुक्तों ने अन्य लोगों के साथ तलवार, पत्थर, पिस्टल, लाठी व डण्डों से लैस होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया तथा जिसका उद्देश्य उ0प्र0 के उपमुख्यमंत्री के हेलीकाप्टर को दूषित उद्देश्य से उतरने से रोकना था इसीलिए धारा 149 के साथ 147 की बढ़ोत्तरी की गयी। अपराह्न 3 बजे जब वादी के वाहन शांतिपूर्वक तरीके से मुख्य अतिथि को लेने जा रहे थे तब विधि विरूद्ध जमाव द्वारा वाहनों पर हमला कर अंततः आग लगा दी तथा वाहन के शीशे तोड़ दिए तथा घातक हथियार ओर पत्थर आदि से बदला लेने के लिए दूषित उद्देश्य से इस घटना के तहत हमला कर दिया कि मंत्री का बेटा थार वाहन में बैठा है जबकि घटना के समय वह घटना स्थल से 4 किमी0 दूर बनवारीपुर में दंगल के आयोजन में विद्यमान था और इसी कारण से अभियुक्तगण तथा विधि विरूद्ध जमाव ने थार वाहन में बैठे व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल करते हुए तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी। इस प्रकार

अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला पूरी तरह स्थापित है और इसी आधार पर उन्मोचन प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

चूंकि विधि विरूद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा वादी पक्ष के सदस्यों के सार्वजनिक सड़क पर जाने से अवरोधित किया गया। इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341 भा0दं0सं0 का अपराध भी बनता है और इसीलिए वादी द्वारा घटना से सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर मु0अ0सं0 220 सन् 21 पंजीकृत कराया गया तथा इण्डिया न्यू चैनल पर बयान भी दिया।

इस प्रकार वादी के बयान से स्वयं ही साबित है कि किसानों की आड में प्रदर्शनकारियों के साथ में विधि विरूद्ध जमाव ने थार वाहन पर हमला कर दिया तथा थार के चालक हरिओम मिश्रा की हत्या कारित की है। इस प्रकार यदि मु0अ0सं0 220 सन् 2021 के तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाय तो मु0अ0सं0 216/21 की घटना के तथ्य को गलत साबित करते है कि सुमित जायसवाल ड्राइवर की सीट के साथ बैठा था जो तीन किसानों को कुचलने के लिए जिम्मेदार है।

इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में भा0दं0सं0 की धारा 302 के तहत अपराध कारित किया।

इसके अतिरिक्त वादी द्वारा अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र के प्रस्तरों का खण्डन करते हुए अभिकथित किया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जो आरोप पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है उसमें अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है और इसी आधार पर अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना–पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

9. मैंने, अभियुक्त विचित्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सहाय सिंह एडवोकेट, अभियुक्त गुरविन्दर सिंह व कमलजीत सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार सिंह एडवोकेट, अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह एडवोकेट तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार सिंह एडवोकेट को सुना तथा पत्रावली एवं अभियोग दैनिकी का परिशीलन किया।

10. धारा 227 दं0प्र0सं0 के अनुसार यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गयी दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर और इस निमित्त

अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत **विधि व्यवस्था यूनियन आफ इण्डिया बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य ए0आई0आर0 1979 एस0सी0 366 एवं स्टेट आफ बिहार बनाम रमेश सिंह ए0आई0आर0 1977 एस0सी0 2018** में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को केवल अभियोजन के डाकघर या mouth piece के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए अपितु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सम्यक विश्लेषण करने के उपरान्त ही आदेश पारित करना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि न्यायालय आरोप विरचन या उन्मोचन के स्तर पर मामले का इस प्रकार विवेचन करे जैसे कि विचारण के समक्ष की जाती है तथा न्यायालय को धारा–227 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उन्मोचन प्रार्थना–पत्र निस्तारण के समय पुलिस रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य पर एक सीमित परिवेश में ध्यान देना चाहिए तथा यदि न्यायालय के समक्ष सुनवाई के उपरान्त दो विचार समान रूप से सम्भव है तथा न्यायालय इस तथ्य से संतुष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध उपलब्ध साक्ष्य से मामला गंभीर संदेहास्पद नहीं है तो अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया जाना चाहिए तथा यदि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य बिना प्रतिपरीक्षा के स्वीकार कर लिया जाय। इसके उपरान्त भी अभियुक्त को यदि दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता तो, उस दशा में अभियुक्त उन्मोचन का पात्र होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **भारत पारिख बनाम सी0बी0 आई0 2008 सीआर0एल0जे0 3540 एस0सी0, स्टेट आफ उडीसा बनाम देवेन्द्र नाथ पाठी 2005(15)ए0सी0सी0 209 एस0सी0, रूकमनी नारवेकर बनाम विजया सतार देकर ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 1013, स्टेट एण्टी करप्शन ब्यूरो हैदराबाद बनाम सूर्य प्रकाश 1999 एस0सी0सी0(कि0) 373** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि आरोप विरचन के स्तर पर न्यायालय को पुलिस द्वारा 173(2) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न कागजातों पर ही विचार करना चाहिए। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 227 या 228 दं0प्र0सं0 के निस्तारण के समय अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत तात्विक साक्ष्य पर न्यायालय विचार नहीं करेगा। इस स्तर पर मात्र अभियुक्त को सुना जाना ही अनिवार्य है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ओमवती बनाम स्टेट आफ दिल्ली (2001)4 एस0सी0सी0 333** तथा **कान्ती भद्राशाह बनाम स्टेट आफ ईस्ट**

बंगाल ए0आई0आर0 2000 एस0सी0 522 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि न्यायालय को उसी दशा में साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने चाहिए जबकि वह समझता है कि अभियुक्त उन्मोचित किए जाने योग्य है और यदि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाना है तो उस दशा में कारण को लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त दिशानिर्देश के आलोक में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

11. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि विवेचक द्वारा 173(2) दं0प्र0सं0 की रिपोर्ट के साथ संकलित समस्त अभिलेखों की प्रतियां मजिस्ट्रेट द्वारा तथा धारा 207 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के बाद ही मामले को सत्र न्यायालय के समक्ष सुपुर्द किया जाना चाहिए था किन्तु मजिस्ट्रेट न्यायालय ने विवेचक द्वारा संकलित समस्त साक्ष्य की प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं करायी जिस कारण प्रभावी ढंग से उन्मोचन प्रार्थनापत्र तैयार नहीं किया जा सका।

12. उपरोक्त तर्क के आलोक में यदि अवर न्यायालय, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आज्ञा पत्र दिनांकित 21.01.2022 तथा 03.02.2022 का परिशीलन किया जाय तो यह स्पष्ट है कि विवेचक श्याम कुमार पाल विशेष अनुसंधान दल द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर दिनांक 21.01.2022 को संज्ञान लेने के पश्चात दिनांक 03.02.2022 को अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को नकलें प्राप्त करायी गयीं तथा उपार्पित आदेश दिनांकित 03.02.2022 में भी धारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रलेखों की प्रतियां अभियुक्तगण को दिए जाने का उल्लेख है। इस दशा में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में न्यायालय कोई बल नहीं पाता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियुक्तगण को अभियोजन प्रलेखों की नकले प्रदान नहीं की गयी।

13. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि धारा 141 भा0दं0सं0 के अनुसार पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरूद्ध जमाव कहा जाता है जबकि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण की संख्या 4 है तथा सभी अभियुक्तगण घटना के पूर्व से एक दूसरे से अपरिचित थे तथा अलग–अलग गांव के निवासी है। उस दशा में अभियुक्तगण का आशय अथवा सामान्य उद्देश्य से कथित घटना के मृतकों की हत्या करने या चुटहिल को घ ायल करने का कोई औचित्य नहीं तथा किसी भी अभियुक्त के पास चूंकि

कोई घातक आयुध होने का साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण धारा 149 भा0दं0सं0 के आरोप से उन्मोचित किए जाने योग्य है

14. उपरोक्त तर्क के आलोक में यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज सं0 4क/4 का परिशीलन किया जाय तो वादी सुमित जायसवाल द्वारा किसान आन्दोलन कर रहे उपद्रवियों द्वारा गाड़ी पर लाठी, ईंट पत्थरों से हमला करने तथा ड्राइवर हरिओम को गाड़ी के नीचे खींचकर लाठी डण्डे व तलवार से मार कर हत्या कारित किए जाने का कथन किया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी सुमित जायसवाल, मजरूब शेखर भारती, मजरूब आशीष पाण्डेय, मजरूब लवकुश , योगेश दीक्षित व अजय गर्ग तथा अन्य के बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 अंकित किए गये जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03.10. 2021 को वादी सुमित जायसवाल चालक हरिओम के साथ थार गाड़ी में बैठे थे और जब गाड़ी तिकोनिया तिराहे के पास पहुॅची तो किसान आन्दोलन कर रहे उपद्रवियों ने लाठी डण्डे तथा तलवार से हमला कर दिया तथा गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तथा जब ड्राइवर हरिओम का संतुलन बिगड़ने लगा तो उपद्रवी किसान (सिक्खों) ने हरिओम को खींचकर मारना पीटना शुरू कर दिया तथा मजरूब लवकुश व वादी सुमित जायसवाल थार के आगे गेट से भाग निकले तथा इस दौरान थार गाड़ी में ही बैठे शुभम मिश्रा व श्याम सुन्दर निषाद को भी भीड़ ने मारना चालू कर दिया तथा मारपीट कर रहे लोग आपस में एक दूसरे का नाम अमनदीप व दिलबाग सिंह आदि सरदार जैसे नाम ले रहे थे।

दौरान विवेचना धारा 164 दं0प्र0सं0 के बयान में यदुवेन्द्र अवस्थी, सौरभ कुमार वर्मा, श्याम मोहन दीक्षित, अर्जुन कुमार गुप्ता, अचल कुमार मिश्रा, अनूप कुमार मिश्रा ने भी यह अभिकथित किया कि घटना स्थल पर दो गाडिया एक थार व एक कार फार्च्यूनर जल रही थी। हजारों की संख्या में सरदार इकट्ठा थे जो अजय मिश्रा टेनी को भद्दी भद्दी गाली दे रहे थे तथा सरकार की ऐसी तैसी करने का कथन कर रहे थे तथा अवनीश अवस्थी ने धारा 161 दं0प्र0सं0 बयान में गुरविन्दर सिंह तथा **नीचे गिरे आदमी** को डण्डा मारकर भागे जाने तथा विचित्र सिंह द्वारा **ललकार कर गड्डी पलट गड्डी पलट** कहे जाने का कथन किया।

विवेचनोपरान्त विवेचक द्वारा चार अभियुक्त गुरविन्दर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह के विरूद्ध धारा–143, 147, 148, 149, 323, 325, 427, 436, 504, 307 भा0दं0सं0 तथा विचित्र सिंह के विरूद्ध धारा–109, 114, 504, 427, 436 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया तथा अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध विवेचना प्रचलित होना उल्लिखित किया। इस प्रकार प्रस्तुत मामले में

अभियुक्तगण की संख्या 5 से अधिक है और उस दशा में अभियुक्तगण धारा 149 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उन्मोचित नहीं किए जा सकते।

15. अभियुक्त विचित्र सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त विचित्र सिंह की आवाज का नमूना लिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था फिर भी विवेचक द्वारा अभियुक्त विचित्र सिंह की आवाज का नमूना दिनांक 26.10.21 को समय 12:32 पी0एम0 पर विधिक प्रक्रिया के विरूद्ध टेस्ट कराये जाने हेतु साक्षियों की उपस्थिति में किया गया जबकि **रितेश सिन्हा बनाम उ0प्र0 राज्य 2019 सी0आर0एल0जे0 3964** में दिए गए दिशानिर्देश के आलोक में विवेचक को अभियुक्त विचित्र सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खीरी के न्यायालय में उपस्थित किया जाना चाहिए था और इस सम्बन्ध में न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी। अतः विवेचक का उक्त कृत्य माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के प्रतिकूल था।

उपरोक्त तर्क के आलोक में अभियोग दैनिकी का परिशीलन किया गया जो यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा न्यायालय सम्बन्धित से अभियुक्त विचित्र सिंह की आवाज का नमूना लिए जाने हेतु **कोई प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत नहीं किया। यद्यपि विवेचक द्वारा स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में अभियुक्त विचित्र सिंह की आवाज का नमूना लिया गया, किन्तु चूंकि पत्रावली पर अभियुक्त विचित्र सिंह की घटना स्थल पर उपस्थिति तथा गाड़ी पलट दो गाड़ी **पलट दो** के सम्बन्ध में अवनीश अवस्थी द्वारा 161 दं0प्र0सं0 के बयान में युक्तियुक्त कथन किया। उस दशा में विवेचक द्वारा विचित्र सिंह की आवाज का नमूना विधिक रूप से न लिये जाने के आधार पर अभियुक्त विचित्र सिंह की घटना स्थल पर उपस्थिति तथा अपराध में संलिप्तता संदिग्ध नहीं होती।

16. अभियुक्त गुरविन्दर सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि विवेचक द्वारा दिनांक 28.10.2021 को अभियुक्त गुरविन्दर को पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लेकर घटना स्थल पर ले जाया गया तथा खेत से एक डण्डा की फर्जी बरामदगी दिखाकर फर्द बरामदगी तैयार की जिसमें बरामद डण्डा की लम्बाई चौडाई गोलाई का कोई उल्लेख नहीं है। लाठी **खतरनाक** आयुध तब तक नहीं होता जब कि लाठी के किनारे पर कोई कठोर चादर लिपटी न हो। अतः अभियुक्त धारा 302 भा0दं0सं0 में उन्मोचित किए जाने योग्य है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में तिकुनिया मोड के पास आन्दोलनरत किसानों/उपद्रवियों ने वादी तथा उसके सहयोगियों की गाड़ी पर लाठी, ईंट व पत्थरों से हमला किया जिससे ड्राइवर हरिओम तथा अन्य दो भा0ज0पा0 कार्यकर्ता श्याम सुन्दर तथा शुभम मिश्रा की मृत्यु हो गयी।

मृतक श्याम सुन्दर के शव पर आन्तरिक परीक्षण के समय शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटे पायी गयी–

1- L/W 10 x 8 cm x bone deep over back of head. On dissection underline occipital bone found fractured, membrane & brain found lacerated, clotted blood present on surface of membrane and brain.

2- Abraded contusion 20 x 15 cm on forehead & head. On dissection underline both temporal and frontal found fractured.

3- Multiple contusion in area of 60 x 32 cm over back of chest and abdomen largest 20 x 4 cm, smallest 6 x 4cm.

अन्त्य परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मृतक की मृत्यु का कारण Death is due to coma as result of anti mortem injuris बतलाया है।

मृतक शुभम मिश्रा के शव पर आन्तरिक परीक्षण के समय शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटे पायी गयी–

1- L/W 4 x 1 cm x bone deep over left side of forehead 3 cm above left eyebrow on dissection underline frontal bone found fractured, membrane and brain lacerated and clotted blood present on surface of membrane and brain.

2- L.w 2 x 1 x bone deep over left eyebrow.

3- Abraded contusion 30x 15 cm over both side of face, forehead and head. Underline upper and lower jaw, both temporal and parietal found fractured and clotted blood present over surface of membrane and brain.

4- Contusion 15 x 10 cm over left shoulder, multiple abraded contusion in area of 60 x 10 cm over left arm, forearm and back of head. Largest 15 x 3 and smallest 6 x 3 cm.

5- Multiple contusion in an area of 66 x 15 cm over back of right shoulder, Arm, fore arm and hand largest 10 x 2 cm smallest 5 x 2 cm.

6- Multiple contusion in an area of 60 x 40 cm over back of chest and abdomen. On dissection underline Ist to 10th rib found fracture both pleura and lung found lacerated and 1 liter clotted and fluid blood in cavity .

7- Multiple contusion in an area of 13 x 10 over front of left leg and knee.

8- L.W 3 x 1 cm x bone deep over front of left mid leg.

9- Superficial burn 15 x 10 cm over inner surface of left thigh & leg.

10- Superficial burn 25 x 10 cm over front of right leg, 5 cm below right right knee.

11- Superficial burn 25 x 10 cm over lower part of abdomen 5 cm below.

12- Contusion 10 x 4 cm over right shoulder.

अन्त्य परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मृतक की मृत्यु का कारण Death is due to shock and haemorrhage as result of anti mortem injuries बतलाया है।

मृतक हरिओम के शव पर आन्तरिक परीक्षण के समय शरीर पर मृत्यु पूर्व निम्न चोटे पायी गयी–

1- Lacerated wound 5 x 1 cm x bone deep over left side of head 5 cm above left ear. On dissection underline left temporal and parietal bone found fractured. Membrane and brain found fractured/lacerated and underline blood of membrane and over brain.

2- Multiple lacerated in area of 20 x 20 cm over forehead and head (post) on dissection underline frontal bone, parietal bone found fractured, membrane and brain found lacerated and clotted blood present on surface of membrane and brain.

3- Multiple contusion in an area of 50 x 40 cm on back of chest and abdomen. Largest 15 x 4 cm, smallest 6 x 4 cm.

4- L.W. 2 x 0.5 cm x cartilage deep over right ear.

5- Multiple contusion in an area of 13 x 10 over back of left arm

6- Superficial burn 30 x 20 over part of chest and abdomen line of redness present.

7- Superficial burn 20 x 15 cm over outer aspect of left thigh.

अन्त्य परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने मृतक की मृत्यु का कारण Death is due to come as result of anti-mortem injuries बतलाया है।

चुटहिल शेखर भारती के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण के दौरान निम्न चोटें पायी गयी–

1- Swelling 2 x 2 cm on frontal region of scalp 10 cm from glabella.

2- Abrasion 3 cm on just below right eyebrow.

3- Contusion swelling right upper and lower eyeleds.

4- Contusion 2 x 1 cm in front right ear 4 cm from right ear.

5- Multiple contusion on whole back largest one 32 x 5 cm, smallest one 4 x 2 cm

6- Contusion swelling 16 x 10 cm on right shoulder.

7- Linear abrasion 9 cm on front chest.

8- contusion 14 x 3 cm on front of right thigh 6 cm from knee joint.

9- CoP left hand.

चुटहिल आशीष पाण्डेय के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण के दौरान निम्न चोटें पायी गयी–

1- L.W 3 cm x 0.5 cm x muscle deep situated 14 cm above from left ear on parietal region of skull.

2- L.W. 4 cm x 1 cm x muscle deep situated 5 cm above from right eyebrow.

3- Abraded contusion 6 cm x 6 cm situated around right ear.

4- Contusion 15 x 10 cm situated on left elbow.

5- Contusion 6 x 6 cm on left hand on dorsal surface.

6- Contusion 12 cm x 12 cm situated on right hand.

चुटहिल लवकुश के शरीर पर चिकित्सीय परीक्षण के दौरान निम्न चोटें पायी गयी–

1- L.W of size 1 x 0.5 cm on forehead 5 cm above glabella.

2- Contusion of reddish coloured 7 cm on right cheek.

3- Reddish Coloured contusion 20 cm x 3 cm on chest.

4- Reddish cololured contusion on epigastric region.

5- Reddish coloured contusion of size 10 x 5 cm on right thigh.

6- Reddish blackish contusion of size 6 cm x 2 cm on left shoulder.

उपरोक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट तथा **अन्त्य** परीक्षण रिपोर्ट के परिशीलन से स्पष्ट है कि मृतक/चुटहिल के शरीर पर जो चोटें पायी गयी, वें किसी कुन्द अथवा सख्त हथियार अर्थात लाठी डण्डा से कारित की गयी तथा आलाकत्ल की बरामदगी विवेचक द्वारा अभियुक्त गुरविन्दर से की गयी। अतः आरोप विरचन के स्तर पर प्रथम दृष्टया धारा 302 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में फर्द बरामदगी में आला कत्ल डण्डा की लम्बाई चौडाई व गोलाई का उल्लेख न होने से अभियुक्त गुरविन्दर की अपराध में संलिप्तता संदिग्ध नहीं होती है।

17. अभियुक्त कमलजीत व गुरप्रीत सिंह के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण का नाम कई लोगों द्वारा फोटो पहचान लेने के आधार पर प्रकाश में आया और जब अभियुक्तगण के घर पर पुलिस द्वारा दबिश दी जाने लगी तब अभियुक्तगण अपराध शाखा कार्यालय में उपस्थित हुआ। जहां पुलिस ने अभियुक्तगण का बयान अपने मन से लिखकर उनके विरूद्ध झूंठा आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा एकत्रित मौखिक तथा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य से अभियुक्तगण की घटना स्थल पर उपस्थिति तथा अपराध में संलिप्तता का पर्याप्त साक्ष्य संकलन अभियोग दैनिकी में उपलब्ध है तथा अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र पर अवर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान भी लिया जा चुका है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया भा0दं0सं0 की धारा 143,147,148,149,323,325, 436,427,504,302 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य है। अतः न्यायालय अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में कोई बल नहीं पाता है।

18. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विवेचना में प्रथम दृष्टया सिद्ध है कि दिनांक 03.10.2021 को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्र टेनी के पैतृक गांव बनवीरपुर में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता एवं विशाल जनसभा **कार्यक्रम** के मुख्य अतिथि के रूप में उपमुख्य मंत्री उ0प्र0 सरकार श्री केशव प्रसाद मौर्य का आगमन होना था और जब और जब वादी मुकदमा सुमित

जायसवाल भा0ज0पा0 कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए थार गाड़ी यू0पी0 31ए.एस. 1000 के चालक हरिओम तथा शुभम मिश्रा के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में तिकुनिया मोड़ के पास आन्दोलन कर रहे लोगों को फार्चूनर व स्कार्पियों ने लगभग तीन बजे के बाद जब किसानों को कुचल दिया और उतरकर भागने लगे तब अभियुक्त गुरविन्दर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह व अन्य उपद्रवियों ने भाग रहे व्यक्तियों को विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में वादी की गाडियों को जलाया गया एवं लाठी, डण्डा तलवार आदि घातक हथियारों से सुसज्जित होकर हमला किया तथा लोक शान्ति भंग की, प्रकोपित करने के आशय से गृहराज्य मंत्री श्री अजय मिश्र टेनी को अपमानित करने के उद्देश्य से लोक शान्ति भंग करते हुए हरिओम, शुभम मिश्रा तथा श्याम सुन्दर की हत्या तथा आशीष पाण्डेय, लवकुश, शेखर भारती को मारपीट कर घायल कर दिया जिसमें आशीष पाण्डेय के हाथों की अंगुली का अस्थि भंग हो गया। अतः अभियुक्तगण गुरविन्दर सिंह, कमलजीत सिंह तथ गुरप्रीत सिंह के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–143, 147, 148, 149, 323, 325, 427, 436, 504, 302 में आरोप विरचन का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है एवं अभियुक्त गुरविन्दर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 18क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0, अभियुक्त कमलजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 तथा अभियुक्त गुरप्रीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 20क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 खारिज किए जाने योग्य है।

चूंकि अभियुक्त विचित्र सिंह के द्वारा दिनांक 03.10.2021 घटना स्थल पर उपस्थित किसान आन्दोलन में उपद्रवियों में गाड़ी पलटने के लिये घटना स्थल पर उपस्थित रहते हुए दुष्प्रेरित किया गया जिसमें आन्दोलनकारियों द्वारा थार, फार्चूनर गाडियों को जलाकर रिष्ट कारित की है।

अतः अभियुक्त विचित्र सिंह के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा–109, 114, 504, 427, 436 में आरोप विरचित किए जाने का पर्याप्त साक्ष्य है। अभियुक्त विचित्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 15क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 खारिज किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त विचित्र सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 15क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0, अभियुक्त गुरविन्दर सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 18क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0, अभियुक्त कमलजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 तथा अभियुक्त गुरप्रीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 20क अन्तर्गत धारा 227 दं0प्र0सं0 निरस्त किए जाते है।

अभियुक्त विचित्र सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 109, 114, 504, 427, 436 भा0दं0सं0 तथा अभियुक्तगण गुरविन्दर सिंह, कमलजीत सिंह तथा गुरप्रीत सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 143, 147, 148, 149, 323, 325, 427, 436, 504, 302 **भा0दं0सं0 में** आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है। अतः पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 05.12.2022 को पेश हो।

दिनांकः 03.12.2022

(सुनील कुमार वर्मा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0कोड नं0–यू0पी0 6009